# राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़
## भारत सरकार
## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषय:– **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 25/01/2022 को संपन्न 396वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

----00----

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 396वीं बैठक दिनांक 25/01/2022 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

1. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: **395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 395वीं बैठक दिनांक 24/01/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

**एजेन्डा आयटम क्रमांक–2:** **औद्योगिक परियोजनाओं एवं गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–कन्हाईबंद, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1142)**

**ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 50065/ 2020, दिनांक 22/01/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /सीएमआईएन/67231/2020, दिनांक 03/09/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–कन्हाईबंद, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 55/1, कुल क्षेत्रफल–6.98 हेक्टेयर (17.26 एकड़) में प्रस्तावित कोल वॉशरी क्षमता–0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 22 करोड़ होगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/05/2020 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल वॉशरी क्षमता–0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष वेट टाईप हेतु टीओआर जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 396वीं बैठक दिनांक 25/01/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विशाल कुमार जैन, डायरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स आईएनडी टेक हाउस कन्सलट, दिल्ली की ओर से श्री जे.के. मोईत्रा, ई.आई.ए. को–आर्डिनेटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**
    - निकटतम आबादी ग्राम–कन्हईबंध 1.6 कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल नैला 3 कि. मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन नैला 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। हसदेव नदी 9.5 कि.मी. की दूरी पर है।
    - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत कन्हईबंध का दिनांक 25/04/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **भूमि स्वामित्व** – यह शासकीय भूमि है। भूमि खसरा क्रमांक 55/1 का भाग का बटांकन पश्चात् खसरा क्रमांक 55/10 रकबा 6.709 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 55/11 रकबा 0.275 हेक्टेयर, इस प्रकार कुल रकबा 6.984 हेक्टेयर को सी.एस.आई.डी.सी. के ज्ञापन पृ. क्रमांक सीएसआईडीसी/भू–अर्जन/21/11163 रायपुर, दिनांक 21/12/2021 द्वारा मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड को आधिपत्य सौंपी गई है।

4. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

| S.No. | Description | Area (acres) | Percentage (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Washery Plant | 3.452 | 20 |
| 2. | Raw Coal, Stock Yard, Clean Coal & Rejcts | 3.452 | 20 |
| 3. | Other Facilities (Internal Roads, WTP, Staff Quarters, etc.) | 2.589 | 15 |
| 4. | Plantation | 7.767 | 45 |
| **Total** | | **17.26** | **100** |

5. **रॉ–मटेरियल** – रॉ–कोल 0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष उपयोग किया जाएगा। वाश्ड कोल 0.792 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं रिजेक्ट्स कोल 0.198 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। रॉ–कोल एस.ई.सी.एल. कोरबा के खदानों दीपका, गेवरा एवं कुसमुंडा से आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। खदान से वॉशरी तक रॉ–कोल का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। वॉशरी से वाश्ड कोल का 30 प्रतिशत परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों एवं 70 प्रतिशत रेलमार्ग द्वारा किया जाएगा। रिजेक्ट का परिवहन सडक मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। परिसर के भीतर विल वॉशिंग की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल क्रशर इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाऊस में डस्ट एक्स्ट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर की स्थापना की जाएगी, जिससे उत्सर्जन की मात्रा 30 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर से कम होगी। सभी कोल कन्व्हेयर बेल्ट्स एवं जंक्शन प्वाईट्स को ढंका जाकर अतिरिक्त बेग फिल्टर से संलग्न कर चिमनी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों ओर कम से कम 3 मीटर ऊँची बाउण्ड्री वॉल का निर्माण एवं रेन गन के साथ ऊँची स्क्रीन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु परिसर के भीतर एवं पहुंच मार्ग में जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही निम्न अतिरिक्त उपाय किए जायेंगे:–

   I. उद्योग द्वारा कोल क्रशर इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाऊस जैसे धुल उत्सर्जक इकाईयों की दूरी समीपस्थ रेल मार्ग से कम से कम 342 मीटर रखी जायेगी।

II. उद्योग द्वारा परिसर के 45 प्रतिशत क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके तहत् चारों तरफ कम से कम 20 मीटर हरित पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

III. उद्योग द्वारा प्रस्तावित वॉशरी की पश्चिम दिशा एवं रेलवे लाईन की तरफ कम से कम 25 मीटर ऊंचाई प्राप्त कर सकने वाली वृक्ष प्रजातियों का सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

IV. उद्योग द्वारा पश्चिम दिशा में 3 मीटर ऊँची बाउण्ड्रीवाल एवं इसके ऊपर 3 मीटर उंची स्कीन विंड वॉल के साथ रेन गन लगाया जायेगा। साथ ही मुंबई–हावड़ा रेल मार्ग की ओर कम से कम 4 मीटर ऊँची बाउण्ड्रीवाल एवं इसके ऊपर 3 मीटर उंची स्क्रीन विंड वॉल के साथ रेन गन लगाया जायेगा

V. रॉ–कोल अनलोडिंग स्टॉक यार्ड एवं प्रत्येक ट्रान्सफर प्वाईंट पर डस्ट सप्रेशन हेतु रेन गन लगाया जाएगा।

VI. उद्योग द्वारा संपूर्ण आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण किया जायेगा। आंतरिक मार्गों की सफाई एवं जल छिड़काव नियमित रूप से किया जाएगा।

VII. कोयले का परिवहन तारपोलिन से ढ़क कर एवं सील लगे हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.198 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को कव्हर्ड ट्रकों के माध्यम से समीपस्थ इकाई को उपलब्ध कराया जाएगा।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – घरेलू उपयोग हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन एवं वॉशरी हेतु 3,880 घनमीटर प्रतिदिन जल की खपत होगी। वॉशरी से उत्पन्न दूषित जल 3,680 घनमीटर प्रतिदिन को सेटलिंग पॉण्ड एवं बेल्ट प्रेस से उपचार उपरांत पुनः उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार कुल फ्रेश वॉटर की आवश्यकता 250 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसकी आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 250 घनमीटर प्रतिदिन के लिए दिनांक 03/09/2021 से 02/09/2024 तक अनुमति प्राप्त की गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – हैवी मीडिया सायक्लोन आधारित वेट कोल वॉशरी स्थापित किया जाएगा। क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम व्यवस्था की जाएगी। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर, बेल्ट प्रेस एवं सेटलिंग पॉण्ड की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में, डस्ट सप्रेशन में तथा परिसर के भीतर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट क्षमता 30 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना की जाएगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

9. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 20,469 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 तालाब 18,720 घनमीटर (लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर, गहराई 10 मीटर) क्षमता का निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।
10. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 1,500 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 500 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा एवं सीपीसीबी द्वारा निर्धारित ऊंचाई (10 मीटर) की चिमनी संलग्न की जाएगी।
11. **वृक्षारोपण की स्थिति** – कुल क्षेत्रफल में से 7.767 एकड़ (45 प्रतिशत) में 600 नग प्रति एकड़ पौधों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। चारों तरफ कम से कम 20 मीटर एवं 3 लेयर (प्रथम लेयर में अमलतास, करंज, सतवान आदि, द्वितीय लेयर में पेल्टाफार्म, नीम, गुलमोहर आदि तथा तृतीय लेयर में नीलगिरी, सिल्वर ओक आदि) में हरित पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित है। मुंबई-हावड़ा रेल लाईन की तरफ कम से कम 40 मीटर की चौडी सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा।
12. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-**
    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 1 अक्टूबर, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
    ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 20.5 से 36.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 33.0 से 47.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 4.5 से 10.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_2$ 9.1 से 18.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेशीय वायु में जी.एल.सी. (GLC) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार परियोजना के प्रारंभ होने के उपरांत पी.एम. की मात्रा 1.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि एवं एन.ओ.$_{एक्स}$ की मात्रा 7.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि होगी।
    iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।
    iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.6 डीबीए से 52.0 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 39.4 डीबीए से 41.2 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

v. भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 1955 पी.सी.यू. प्रतिदिन है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 2,955 पी.सी.यू. प्रतिदिन होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।

13. लोक सुनवाई दिनांक 18/08/2021 प्रातः 10:30 बजे, स्थान – शासकीय पूर्व माध्यमिक कन्हाईबंद/आदर्श प्राथमिक शाला कन्हाईबंद, ग्राम–कन्हाईबंद, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 02/09/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

14. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. प्रस्तावित कोल वॉशरी स्थल आवासीय स्थल से लगा हुआ है, जिससे वॉशरी का विषैला धूल व धुआं घरों में प्रवेश करेगा, जिससे गांव के लोग गंभीर बिमारियों से ग्रसित होगें। साथ ही सिंचित दो फसली कृषि भूमि बंजर हो जायेगें।

ii. प्रस्तावित कोल वॉशरी हेतु वाहनों के आवागमन से रास्ते में स्कूल स्थित है, जिनके लिए मध्यान्ह भोजन तैयार किया जाता है, जो कि कोयले की डस्ट के कारण से प्रदूषित हो जायेंगे, जिससे छात्र–छात्राओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रभावित होगी।

iii. गांव के तालाब में मछली पालन किया जाता है। अतः प्रदूषण के कारण से मछली मर जायेंगे एवं आस–पास के प्रदूषित पानी से खेत के फसल नष्ट हो जायेंगे।

**लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–**

i. प्रस्तावित कोल वॉशरी आवासीय स्थल से लगभग 2 कि.मी. दूर है, वॉशरी वेट टाईप प्रोसेस पर आधारित होने के कारण कोई भी विषैला धूल व धुआं उत्पन्न नहीं होगा। परिसर के चारों ओर 3 मीटर ऊँची बाउण्ड्री वॉल का निर्माण एवं रेन गन के साथ ऊँची स्क्रीन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु परिसर के भीतर एवं पहुंच मार्ग में जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

ii. प्रस्तावित कोल वॉशरी स्कूल परिसर से 250 मीटर से 300 मीटर की दूरी पर है। स्कूल के मुख्य मार्ग से प्रस्तावित कोल वाशरी के भारी वाहनों का आवागमन नहीं होगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी।

iii. उद्योग में शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। साथ ही उद्योग परिसर के बाहर जल का निस्तारण नहीं किया जाएगा। चूंकि औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। अतः शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

15. सरपंच, ग्राम पंचायत कन्हाईबंद, बनारी, सिवनी, जर्वे, बोडसरा के जन प्रतिनिधियों द्वारा लोक सुनवाई के दौरान पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान नहीं करने के संबंध में आपत्ति जताये जाने हेतु दिनांक 24/09/2021 को पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार "दिनांक 18/08/2021 को ग्राम कन्हाईबंद में आयोजित लोक सुनवाई में ग्राम कन्हाईबंद में जन प्रतिनिधि आम जनता एवं ग्राम कन्हाईबंद से लगे ग्राम बनारी, सिवनी, जर्वे, बोडसरा के जन प्रतिनिधि एवं आम जनता को लोक सुनवाई के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें समस्त जन प्रतिनिधिगण ने मौखिक एवं लिखित में पर्यावरणीय स्वीकृति पर आपत्ति प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ जिला पंचायत प्रतिनिधि, जनपद पचायत प्रतिनिधि एव क्षेत्रीय प्रतिनिधिगण ने भी आपत्ति प्रस्तुत किये है।" आवेदन दिनांक 24/09/2021 के संदर्भ में समिति द्वारा विचार करते हुये यह पाया गया कि लोक सुनवाई दिनांक 18/08/2021 को ग्रामीणों द्वारा ऊठाई गई आपत्तियों को संज्ञान में लिया जा चुका है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 2200 | 2% | 44 | Following activities at nearby Government 11 Schools as per proposal | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 34.00 |
| | | | Potable Drinking water Facility with 5 year AMC | 3.85 |
| | | | Running water facility for Toilets | 2.58 |
| | | | Plantation with fencing | 3.57 |
| | | | Total | **44.00** |

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–कन्हाईबंद, (2) शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–ओराईकला, (3) शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–मदवा, (4) शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–जरवे, (5) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला एवं उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–सरखो, (6) शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–जावलपुर, (7) शासकीय प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–बोडसरा, (8) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–बनारी, (9) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–हरदी, (10) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–सिवनी एवं (11) शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–पाली में किया जाएगा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–कन्हाईबंद, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 55/1 (बटांकन पश्चात् खसरा क्रमांक 55/10 एवं खसरा क्रमांक 55/11), कुल क्षेत्रफल – 6.98 हेक्टेयर (17.26 एकड़) में प्रस्तावित रॉ–कोल वॉशरी क्षमता–0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

**2. मेसर्स हाई टेक सुपर सीमेंट एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बिल्हा व मोहभट्‌टा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1373)**

**ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी / 169019/2020, दिनांक 20/08/2020 द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी / 226873/2021, दिनांक 30/08/2021 को पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – उद्योग ग्राम–बिल्हा व मोहभट्‌टा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 302/1/के, 302/1/जी, 322, 323, 324, 325, 326, 327/2 एवं 17(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 7.22 एकड़ में सीमेंट ग्राईंडिग यूनिट क्षमता–1,000 (5 गुणा 200 टन) टन प्रतिदिन के स्थान पर सीमेंट ग्राईंडिग यूनिट क्षमता–1,000 (2 गुणा 500 टन) टन प्रतिदिन में संशोधन बाबत् आवेदन किया गया है।

पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 29/05/2021 को मेसर्स हाई टेक सुपर सीमेंट एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बिल्हा व मोहभट्‌टा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 302/1/के, 302/1/जी, 322, 323, 324, 325, 326, 327/2 एवं 17(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 7.22 एकड़ में सीमेंट ग्राईंडिग यूनिट क्षमता–1,000 (5 गुणा 200 टन) टन प्रतिदिन हेतु जारी की गई है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 396वीं बैठक दिनांक 25/01/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विनित अग्रवाल, डायरेक्टर उपस्थित हुए। समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि समिति के समक्ष अपूर्ण जानकारी / दस्तावेज होने के कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त आवेदन समिति की आगामी बैठक में विचार किया जाए। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज के साथ आयोजित आगामी माह के बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स गोपाल स्पंज एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सिलतरा, फेज–II, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1795)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 227312/ 2021, दिनांक 01/09/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–सिलतरा, फेज–II, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 381/1, 381/2, 382, 392/1, 383/1, 383/3, 383/4, 383/5 एवं 392/7, में इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,904 टन प्रतिवर्ष एवं न्यू हॉट चार्ज आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 58,160 टन प्रतिवर्ष करने के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना की विनियोग रुपये 14 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण** –

**(अ) समिति की 396वीं बैठक दिनांक 25/01/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 25/01/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (कोविड–19 पॉजिटिव होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. **मेसर्स विनायक आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज, ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1746)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 65904/ 2021, दिनांक 22/07/2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 30/07/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 01/09/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 26/2, 29/1, 29/3, 29/4 एवं 29/5, कुल क्षेत्रफल – 5.53 हेक्टेयर (13.67 एकड़) में डीआरआई प्लांट (स्पंज आयरन) क्षमता – 62,700 टन प्रतिवर्ष (95 टन प्रतिदिन गुणा 2 नग), डब्ल्यूएचआरबी आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 6 मेगावॉट (13.5 टन प्रतिघंटा गुणा 2 नग) एवं एफबीसी आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 8 मेगावॉट (36 टन प्रतिघंटा गुणा 1 नग) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना की कुल लागत 110 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 396वीं बैठक दिनांक 25/01/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुरेश कुमार अग्रवाल, पार्टनर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेबोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–सरायपाली 0.15 कि.मी., ग्राम–पाली 0.55 कि.मी. एवं ग्राम–गेरवानी 0.1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन किरोड़ीमल नगर 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 2.8 कि.मी. दूर है। केलो नदी 2.5 कि.मी. दूर है। उर्दना आरक्षित वन 0.8 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

- तराईमल आरक्षित वन, उर्दना आरक्षित वन, पाझर आरक्षित वन, खरिडुंगरी आरक्षित वन, खेराडुंगरी आरक्षित वन, डुंगापानी आरक्षित वन, लाखा आरक्षित वन, बरकाछार आरक्षित वन, पूंजीपथरा आरक्षित वन 10 कि.मी. की परिधि में आते है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उद्योग परिसर के 15 कि.मी. के अंतर्गत यहां पर हाथियों की आवाजाही देखी गई है। समिति का मत है कि हाथियों के संरक्षण हेतु संरक्षण प्लान को ई.आई.ए. में समावेश किया जाना आवश्यक है।

2. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

| S.No. | Land use | Area (in Ha.) |
|---|---|---|
| 1. | Plant Area | 1.20 |
| 2. | Raw Material Storage yard | 0.50 |
| 3. | Product Storage yard | 0.40 |
| 4. | Solid Waste Storage yard | 0.30 |
| 5. | Internal Roads | 0.50 |
| 6. | Greenbelt Area | 1.83 |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | Water Reservoir and RWH | 0.10 |
| 8. | Parking Area | 0.70 |
| | **Total** | **5.53** |

3. **भू–स्वामित्व** – भूमि मैसर्स विनायक आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज के नाम पर है।

4. **रॉ–मटेरियल** –

| S.No. | Raw Material | | Quantity (In TPA) | Sources | Mode of Transport |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **DRI Kiln (Sponge Iron) - 62,700 TPA** | | | | |
| a) | Iron ore | | 1,00,320 | Barbil, Odisha NMDC, CG | By Rail & Road (Through Covered Trucks) |
| b) | Coal | Indian | 81,510 | SECL CG / MCL Odisha | By Rail & Road (Through Covered Trucks) |
| | | Imported | 52,166 | Indonesia / South Africa / Australia | Through Sea Route, Rail & Road |
| c) | Dolomite | | 3,135 | Raigarh | By Road (Through Covered Trucks) |
| 2. | **FBC Boiler (Power Generation) - 8 MW** | | | | |
| a) | Indian Coal | | 53,460 | SECL CG / MCL Odisha | By Rail & Road (Through Covered Trucks) |
| | **OR** | | | | |
| b) | Imported Coal | | 34,268 | Indonesia / South Africa / Australia | Through Sea Route / Rail / Road |
| | **OR** | | | | |
| c) | Dolochar | | 18,180 | In Plant Generation | Through Covered Conveyors |
| | Indian Coal | | 44,055 | SECL CG / MCL Odisha | By Rail & Road (Through Covered Trucks) |
| | **OR** | | | | |
| d) | Dolochar | | 18,180 | In Plant Generation | Through Covered Conveyors |
| | Imported Coal | | 24,863 | Indonesia / South Africa / Australia | Through Sea Route / Rail / Road |

5. **प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी** –

| S. No. | Unit (Product) | | Capacity |
|---|---|---|---|
| 1. | DRI Plants (Sponge Iron) | | 2 x 95 TPD (62,700 TPA) |
| 2. | Power Plant (electricity) | WHRB Based | 6 MW (2 x 13.5 TPH) |
| | | FBC Based | 8 MW (1 x 36 TPH) |

**वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – परियोजना हेतु डीआरआई किल्न के साथ डब्ल्यु एचआरबी आधारित पॉवर प्लांट में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु एलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ESP) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। एफबीसी बॉयलर में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु एलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ESP) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30

मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। एस.ओ.2 की उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाने हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी। एन.ओ.एक्स (NOx) बर्नर में कमी हेतु तीन स्तरीय कम्बशन, फ्लू गैस रिसरक्युलेशन एवं ऑटो कम्बशन कंट्रोल व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा। समिति का मत है कि उक्त हेतु चिमनी की उचाई की गणना का उल्लेख ईआईए में समावेश किया जाना आवश्यक है। साथ ही सभी ट्रांसफर पाइंट, क्रशिंग ईकाई आदि में ड्राई फौगिंग सिस्टम के साथ बैग फिल्टर लगाया जाना प्रस्तावित हैं।

6. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –**

| Waste | Quantity (In TPA) | Disposal |
|---|---|---|
| Ash from DRI | 11,286 | Will be given to brick manufacturers |
| Dolochar | 18,180 | Will be used in FBC power plant as fuel |
| Kiln Accretion Slag | 564 | Will be used in road construction and given to brick manufacturer |
| Wet Scrapper Sludge | 2,884 | Will be used in road construction and given to brick manufacturer |
| Ash from power plant (with Indian coal + dolochar) | 31,110 | Ash generated is being given to cement Plants / brick Manufacturers |

7. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 340 घनमीटर जल प्रतिदिन {डीआरआई किल्न में 50 घनमीटर प्रतिदिन, पॉवर प्लांट में 280 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग टॉवर मेकअप में 135 घनमीटर प्रतिदिन, बॉयलर मेकअप में 101 घनमीटर प्रतिदिन एवं डीएम रिजनरेशन में 44 घनमीटर प्रतिदिन) एवं घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन} का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना हेतु जल की आपूर्ति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से किया जाना प्रस्तावित है।
- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होगा। डीआरआई किल्न से उत्पन्न जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग (Closed circuit cooling system) हेतु उपयोग में लाया जाएगा। प्रस्तावित पॉवर प्लांट से दूषित जल की मात्रा 114 घनमीटर प्रतिदिन {पॉवर प्लांट से 106 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग टॉवर ब्लोडाउन से 34 घनमीटर प्रतिदिन, बॉयलर ब्लोडाउन से 28 घनमीटर प्रतिदिन एवं डीएम रिजनरेशन से 44 घनमीटर प्रतिदिन) एवं सेनेट्री उपयोग से 8 घनमीटर प्रतिदिन} होगा। प्रस्तावित पॉवर प्लांट से दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी.(न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। घरेलु दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।
- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

8. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 2.4 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। कन्सट्रक्शन फेज के दौरान विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के दौरान विद्युत की आपूर्ति केप्टिव प्लांट क्षमता 14 मेगावॉट (एफबीसी आधारित 8 मेगावॉट एवं डब्ल्यूएचआरबी आधारित 6 मेगावॉट) से की जाएगी।

9. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – प्रस्तावित परियोजना से हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 1.83 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर, 2021 से 15 जनवरी, 2022 मध्य किया गया। उक्त की सूचना दिनांक 23/10/2021 को प्रेषित की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(डी) थर्मल पॉवर प्लांट्स एवं श्रेणी 3(ए) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the certificate from forest department for nearest distance between forest boundary of RF and PF, orange area and also submit a certificate from DFO Raigarh.
ii. Project proponent shall submit the certificate from mining department for nearest distance between plant premises to nearest habitation.
iii. Project proponent shall submit the certificate from EE/ SDO PWD regarding distance between project site and nearest villages.
iv. Project proponent shall submit the certificate from concerned SDM regarding distance between project site and nearest villages.
v. Project proponent shall submit the details of ETP process flow chart along with drawing and design.
vi. Project proponent shall submit details of water balance chart & STP flow chart with process and proposal for maintaining zero discharge condition.

vii. Project proponent shall submit the details of stack height calculation.

viii. Project proponent shall submit the detailed calculation of pollution load (PM, $SO_X$, $NO_X$) of existing & proposed unit.

ix. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

x. Project proponent shall submit the detail proposal of plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, maintainace cost and irrigation cost.

xi. Project proponent shall submit the certificate land document P-II khasra from revenue department duly certified by SDM/Tehsildar in original.

xii. Project proponent shall submit the details of altenative sites (if possible) and compare with each other.

xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

xiv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xv. As elephant movement exist within the proposed premises, project proponent shall submit approved wildlife conservation plan from DFO Raigarh/forest department.

xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. **मेसर्स मांजा आर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.–श्री शुभम अग्रवाल), ग्राम–मांजा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1789)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 227127/2021, दिनांक 01/09/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मांजा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 217/35, कुल क्षेत्रफल–1.659 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–16,350.05 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 396वीं बैठक दिनांक 25/01/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शुभम अग्रवाल उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मांजा का दिनांक 19/06/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एंड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1210/ख.लि–2/2021 रायगढ़, दिनांक 18/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 1350/खनिज/खलि.3/2021 अम्बिकापुर दिनांक 02/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 3.315 हेक्टेयर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान गूगल मैप से लीज क्षेत्र को देखने पर आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर प्रस्तुत खदानों के अलावा एक अन्य खदान पाया गया है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वह एक बंद खदान है। अतः उक्त का उल्लेख करते हुए कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी 500 मीटर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक/1222/खनिज/खलि.3/2021 अम्बिकापुर, दिनांक 05/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। रेहर नदी 160 मीटर की दूरी पर है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 102/खनिज/ख.लि.1/न.क्र.07/2020 अम्बिकापुर, दिनांक 15/01/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2850 अम्बिकापुर, दिनांक 06/10/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 1.5 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मोहनपुर 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–मोहनपुर 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,15,670 टन, माईनेबल रिजर्व 1,41,884 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,27,696 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,637 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 11,953 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण एवं लगी हुई भूमि में रखरखाव के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं किया जाएगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 16,350.05 |
| द्वितीय | 16,350.05 |
| तृतीय | 16,350.05 |
| चतुर्थ | 16,350.05 |
| पंचम | 16,350.05 |

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) एवं पेयजल की आपूर्ति ट्यूब वेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पेयजल की आपूर्ति ट्यूब वेल के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रस्तावित ट्यूब वेल सार्वजनिक है अथवा निजी?

    i. यदि स्थित ट्यूब वेल लीज क्षेत्र के भीतर अथवा अन्य स्थल पर व्यक्तिगत हो तो भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

    ii. यदि ट्यूब वेल सार्वजनिक हो तो जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 400 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नही किया गया है।

16. माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मात्रा 11,953 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 3 मीटर की ऊंचाई तक तथा शेष ऊपरी मिट्टी को लगी हुई भूमि में रखा जाएगा। समिति का मत है कि सुरक्षा कारणों से ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 1 मीटर की ऊंचाई से अधिक तथा डम्प क्षेत्र में स्लोप 28 डिग्री से अधिक रखा जाना संभव नहीं है। अतः उपरोक्त के आधार पर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत

किया जाना आवश्यक है। साथ ही लगी हुई भूमि संबंधी दस्तावेज एवं सक्षम प्राधिकारी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः—**

1. उपरोक्त विवरण अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से 500 मीटर के प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्त विवरण को स्पष्ट करते हुये पेयजल आपूर्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. सुरक्षा कारणों से ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 1 मीटर की ऊंचाई से अधिक तथा डम्प क्षेत्र में स्लोप 28 डिग्री से अधिक रखा जाना संभव नहीं है। अतः उपरोक्त के आधार पर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए। साथ ही लगी हुई भूमि संबंधी दस्तावेज एवं सक्षम प्राधिकारी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**6. मेसर्स खाडा आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.—श्री कमलेश कुमार साहू), ग्राम—खाडा, तहसील—बैकुण्ठपुर, जिला—कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1790)**

**ऑनलाईन आवेदन** — प्रपोजल नम्बर — एसआईए /सीजी /एमआईएन / 226432/2021, दिनांक 01/09/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** — यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम—खाडा, तहसील—बैकुण्ठपुर, जिला—कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 1266, 1267 एवं 1268, कुल क्षेत्रफल—1.63 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—12,043.2 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण —**

**(अ) समिति की 396वीं बैठक दिनांक 25/01/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुभाष वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः—**
   i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1266, 1267 एवं 1268 कुल क्षेत्रफल—1.83 हेक्टेयर, क्षमता— 4632 घनमीटर प्रतिवर्ष (12043.2 टन

प्रतिवर्ष) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 05 वर्ष की अवधि हेतु जारी की गई है।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार पूर्व में दिये गये शर्तों का पालन पूर्ण नहीं किया गया है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1475/खनिज/उ.प./2021/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 25/10/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

| वर्ष | उत्पादन (घनमीटर) |
|---|---|
| 2017 | निरंक |
| 2018 | |
| 2019 | 1,533 |
| 2020 | 1,220 |
| 2021 | 450 |

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पूर्ण नहीं किया गया है। समिति का मत है कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन पूर्ण करने उपरांत पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन पूर्ण कर, पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने एव उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्राप्त होने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**7. मेसर्स सोनपुरखुर्द ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो. – श्री अतुल सिंह), ग्राम–सोनपुरखुर्द, तहसील–अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1791)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 226218/2021, दिनांक 01/09/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–सोनपुरखुर्द, तहसील–अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 205/14, 205/15, 205/28 एवं 205/30, कुल क्षेत्रफल–1.141 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 396वीं बैठक दिनांक 25/01/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुभाष वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व मे पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सुखरी का दिनांक 02/10/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1680/ ख. लि.–2/2021 रायगढ़, दिनांक 18/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक/1431/खनिज/खलि.3/उ.प./2021 अम्बिकापुर, दिनांक 17/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक/1431/खनिज/खलि.3/उ.प./2021 अम्बिकापुर, दिनांक 17/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, जलाशय एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 637/खनिज/ख.लि.1/न.क्र. 25/2021 अम्बिकापुर, दिनांक 26/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 205/14 श्री ननका राम, 205/15 श्री स्वाति राम, 205/28 श्री घरभरन एवं 205/30 श्री शिवनाथ के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./3901 अम्बिकापुर, दिनांक 18/07/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सोनपुरखुर्द 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–सोनपुरखुर्द 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–सोनपुरखुर्द 1.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है। घुनघटा नदी 2.7 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि मे अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 22,820 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 16,660 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 15,827 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 542 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जायेगा। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जायेगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर) | उत्पादन (नग) |
|---|---|---|
| प्रथम | 500 | 5,00,000 |
| द्वितीय | 500 | 5,00,000 |
| तृतीय | 500 | 5,00,000 |
| चर्तुथ | 500 | 5,00,000 |
| पंचम | 500 | 5,00,000 |

**आगामी वर्षों का उत्पादन योजना**

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर) | उत्पादन (नग) |
|---|---|---|
| षष्टम | 500 | 5,00,000 |
| सप्तम | 500 | 5,00,000 |
| अष्टम | 500 | 5,00,000 |
| नवम | 500 | 5,00,000 |
| दशम | 500 | 5,00,000 |

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.52 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 269 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले की मात्रा एवं उससे जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks) / ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. जिग–जैग किल्न के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले की मात्रा एवं उससे जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks) / ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षो का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्त वांछित जानकारी / दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**8. मेसर्स गोपालपुर ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो.– श्री रामकिशुन यादव), ग्राम–गोपालपुर, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1792)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 226282 / 2021, दिनांक 01 / 09 / 2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–गोपालपुर, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 499 / 1 एवं 499 / 2, कुल क्षेत्रफल–1.23 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18 / 01 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 396वीं बैठक दिनांक 25 / 01 / 2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बबलू यादव, अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गोपालपुर का दिनांक 23/08/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1205/खनिज/खलि.2/2021/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि मे स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक/431/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 15/04/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक/430 खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 15/04/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, जलाशय, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक/316/गौण खनिज/उत्खननपट्टा/2021 बलरामपुर, दिनांक 22/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 499/1 श्री गुन्नू एवं 499/2 श्री विजय यादव के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2018/7503 बलरामपुर, दिनाक 05/10/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से उत्तर में 0.7 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गोपालपुर 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–गोपालपुर 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–गोपालपुर 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 35 कि.मी. दूर है। महान नदी 2 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 22,100 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 16,144 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 15,336

घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौडी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 440 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौडाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जायेगा। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जायेगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर) | उत्पादन (नग) |
|---|---|---|
| प्रथम | 500 | 5,00,000 |
| द्वितीय | 500 | 5,00,000 |
| तृतीय | 500 | 5,00,000 |
| चर्तुथ | 500 | 5,00,000 |
| पंचम | 500 | 5,00,000 |

**आगामी वर्षों का उत्पादन योजना**

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर) | उत्पादन (नग) |
|---|---|---|
| षष्टम | 500 | 5,00,000 |
| सप्तम | 500 | 5,00,000 |
| अष्ठम | 500 | 5,00,000 |
| नवम | 500 | 5,00,000 |
| दशम | 500 | 5,00,000 |

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.52 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 233 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले की मात्रा एवं उससे जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. गूगल मैप से देखने पर लीज क्षेत्र का कुछ भाग उत्खनित प्रतिपादित होना पाया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज

क्षेत्र पूर्व से उत्खनित नहीं है। समिति का मत है कि इस संबंध में जानकारी/दस्तावेज खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. जिग-जैग किल्न के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र का कुछ भाग उत्खनित है अथवा नहीं के संबंध में जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले की मात्रा एवं उससे जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
6. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**9. मेसर्स रेवतपुर ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो.- श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल), ग्राम-रेवतपुर, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1793)**

**ऑनलाईन आवेदन** - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 226257/2021, दिनांक 01/09/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-रेवतपुर, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 321 एवं 1344/34 कुल क्षेत्रफल-1.02 हैक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 400 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 396वीं बैठक दिनांक 25/01/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पंकज जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः**— इस खदान को पूर्व मे पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धंधापुर का दिनांक 30/01/2021 एवं ग्राम पंचायत रेवतपुर का दिनांक 10/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1208/खनिज/खलि.2/2021/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक/607/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 07/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक/608/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 07/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, जलाशय, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक/551/गौण खनिज/उत्खननपट्टा/2021 बलरामपुर, दिनांक 17/06/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1344/34 श्री बंशरोपन जायसवाल एवं खसरा क्रमांक 321 श्री सुरेन्द जायसवाल, श्री प्रसनल जायसवाल, श्री रामधारी जायसवाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2020/6189 बलरामपुर, दिनांक 11/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से उत्तर में 1 कि.मी. की दूरी पर है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–रेवतपुर 1.4 कि.मी., स्कूल ग्राम–रेवतपुर 1.4 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–रेवतपुर 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 42 कि.मी. दूर है। महान नदी 4.5 कि.मी. दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 20,400 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 14,328 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 13,611 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौडी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 470 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौडाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जायेगा। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जायेगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:--

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर) | उत्पादन (नग) |
|---|---|---|
| प्रथम | 400 | 4,00,000 |
| द्वितीय | 400 | 4,00,000 |
| तृतीय | 400 | 4,00,000 |
| चर्तुथ | 400 | 4,00,000 |
| पंचम | 400 | 4,00,000 |

**आगामी वर्षों का उत्पादन योजना**

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर) | उत्पादन (नग) |
|---|---|---|
| षष्टम | 400 | 4,00,000 |
| सप्तम | 400 | 4,00,000 |
| अष्टम | 400 | 4,00,000 |
| नवम | 400 | 4,00,000 |
| दशम | 400 | 4,00,000 |

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.41 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 236 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि ''पवित्र वन'' के तहत् (आंवला, बड पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले की मात्रा एवं उससे जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks) / ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. जिग-जैग किल्न के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले की मात्रा एवं उससे जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**10. मेसर्स ढोण्डरा ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (टेम्परी परमिट), (प्रो.- शैलेन्द्र बहादुर सिंह), ग्राम-ढोण्डरा, तहसील-कोण्टा, जिला-सुकमा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1794)**

**ऑनलाईन आवेदन** - प्रपोजल नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन / 227292/2021, दिनांक 01/09/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** - यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-ढोण्डरा, तहसील-कोण्टा, जिला-सुकमा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 112, कुल क्षेत्रफल-3.488 हेक्टेयर में से क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-85,503.57 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण** -

**(अ) समिति की 396वीं बैठक दिनांक 25/01/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शैलेन्द्र बहादुर सिंह, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत ढोण्डरा का दिनांक 02/10/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** - क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाडा के ज्ञापन क्रमांक 465/खनिज/उत्ख.यो. /2021-22 दंतेवाड़ा, दिनांक 25/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सुकमा के ज्ञापन क्रमांक 237/खनिज/कले./2021 सुकमा, दिनांक 28/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सुकमा के ज्ञापन क्रमांक 237/खनिज/कले./2021 सुकमा, दिनांक 28/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – यह शासकीय भूमि है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सुकमा के ज्ञापन क्रमांक 229/खनिज/अ.अनु./2021 सुकमा, दिनांक 18/08/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 2 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सुकमा वनमण्डल, जिला–सुकमा के ज्ञापन क्रमांक/व.त.अ./2515 सुकमा, दिनांक 06/08/2021 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 2 कि.मी. एवं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से 200 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–ढोण्डरा 0.34 कि.मी., स्कूल ग्राम–कोण्टा 0.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–कोण्टा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 40 कि.मी. दूर है। शबरी नदी 1.9 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,84,822 टन, माईनेबल रिजर्व 1,41,531 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,34,454 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौडी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,880 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर (जिसमें से 9 मीटर पहाडी क्षेत्र) है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नही किया जाएगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिडकाव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 85,503.57 |
| द्वितीय | 56,027.62 |

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी जनित नहीं होगा।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण कार्य किया जाना संभव नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त भूमि खसरा क्रमांक 112, रकबा 3.44 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,000 नग वृक्षारोपण कार्य किये जाने हेतु पौधो के लिए राशि 1,00,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 50,000 रूपये, खाद के लिए राशि 50,000 रूपये एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,00,000 रूपये, 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया गया है। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 30 | 2% | 0.60 | Following activities at Government Boys Hostal & Girls Hostal **Village-Konta & Bhejji** | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.60 |
| | | | Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC | 0.44 |
| | | | Plantation with fencing | 0.36 |
| | | | **Total** | **1.40** |

16. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग सुकमा, जिला–सुकमा के ज्ञापन क्रमांक/1732/कार्य/सुकमा, दिनांक 21/06/2021 द्वारा श्री शैलेन्द्र बहादुर सिंह (परियोजना प्रस्तावक) से लोक निर्माण विभाग में निर्माणाधीन सड़कों के लिए मिट्टी उपलब्ध कराने बाबत् खनि अधिकारी, जिला–सुकमा को पत्र जारी किया गया है।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

**a)** Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

**b)** If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in Process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुकमा के ज्ञापन क्रमांक 237/खनिज/कले./2021 सुकमा, दिनांक 28/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-ढोण्डरा) का रकबा 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-ढोण्डरा) को मिलाकर कुल रकबा 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स ढोण्डरा ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (टेम्परी परमिट), (प्रो.- शैलेन्द्र बहादुर सिंह) की ग्राम-ढोण्डरा, तहसील-कोण्टा, जिला-सुकमा के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 112 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, क्षमता - 85,503 टन प्रतिवर्ष (2 वर्षों में कुल क्षमता 1,34,454 टन से अधिक न हो) हेतु **परिशिष्ट-02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।
3. प्रस्तावित परियोजना से उत्खनित साधारण पत्थर को शासकीय कार्यों हेतु ही उपयोग किया जाएगा।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलद्वियुस तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

## ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS M/S MAHAVIR COAL WASHERIES PRIVATE LIMITED KHASRA NUMBER 55/1, 55/10, 55/11, VILLAGE - KANHAIBANDH, TEHSIL - JANJGIR, DISTRICT - JANJGIR-CHAMPA (C.G.) FOR COAL WASHERY 0.99 MILLION TONNE PER YEAR

### I. Statutorycompliance

i. The project proponent shall adopt the code of practice for coal washeries issued by Central Pollution Control Board.

ii. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board.

iii. As per the proposal submitted by the project proponent, rain water collected in proposed reservoirs within and outside the plant premises shall be utilized for industrial activities as maximum as possible. As per Central Ground Water Authority notification, the proposed site falls under safe zone, therefore, no ground water shall be withdrawn/used for industrial activities without prior permission from the Central Ground Water Authority. Project proponent shall obtain permission from the Central Ground Water Authority for drawl of ground water.

iv. Solid waste / hazardous waste generated in the washery needs to addressed in accordance to the Solid Waste Management Rules, 2016, Hazardous & Other Waste Management Rules, 2016.

v. Coal stacking plan shall be prepared separately for raw coal, clean coal, middling and rejects.

vi. Efforts should be made to reduce energy consumption by conservation, efficiency improvements and use of renewable energy.

### II. Air quality monitoring and preservation

i. Adequate ambient air quality monitoring stations shall be established in the core zone as well as in the buffer zone for monitoring of pollutants, namely particulates ($PM_{10}$ & $PM_{2.5}$), $SO_2$ and $NO_x$. Location of the stations shall be decided based on the meteorological data, topographical features, and environmentally and ecologically sensitive receptors in consultation with the CECB. Monitoring of heavy metals such as Hg, As, Ni, Cd, Cr, etc carried out at least once in six months.

ii. Continuous ambient air quality monitoring stations as prescribed in the statue be established in the core zone as well as in the buffer zone for monitoring of pollutants, namely $PM_{10}$, $PM_{2.5}$, $SO_2$ and $NO_x$. Location of the stations shall be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive targets in consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board. Online ambient air quality monitoring stations may also be installed in addition to the regular monitoring stations as per the requirement and/or consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board. Monitoring of heavy metals such as Hg, As, Ni, Cd, Cr, etc to be carried out at least once in six months.

iii. Project proponent shall ensure transportation of raw coal, washed coal and rejects through railway as maximum as possible. Also ensure minimum (70)% of total washed coal shall be transported through railway and rejects generated shall be transported through road. Transportation of coal by road shall be carried out by covered trucks. The transportation of clean coal shall be carried out by rail with wagon loading through silo as far as possible. Effective measures such as regular water sprinkling shall be carried out in critical areas prone to air pollution and having high levels of particulates such as roads, belt conveyors, loading / unloading and transfer points. Fugitive dust emissions from all sources shall be controlled at source. It shall be ensured that the ambient air quality parameters conform to the norms prescribed by the Central Pollution Control Board/

Chhattisgarh Environment Conservation Board. The particulate emission from any point source shall not exceed 30 mg / $Nm^3$ under any circumstances.

iv. All possible particulate matter and fugitive dust emission source points like unloading areas, loading area, coal crusher unit, rotary breaker unit, screen house unit, conveyor belt, transfer points, junction points, coal (raw, washed and reject) storange yard etc. shall be kept minimum 342 m away from the railway line.

v. All approach roads shall be black topped and internal roads shall be concreted. The roads shall be regularly cleaned. Coal transportation shall be carried out by covered trucks. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are properly covered.

vi. Covered trucks shall be engaged for transportation outside the washery upto the railway siding, shall be optimally loaded to avoid spillage en-route. Trucks shall be adequately maintained and emissions shall be below notified limits.

vii. Project proponent shall construct boundary wall of height not less than 03 meters all along the periphery of plant premises. Wind breaking screen of height not less than 03 meters along with rain guns all along the periphery of plant premises (three sides) and boundary wall of height not less than 04 meters over the boundary wall towards railway line side, wind breaking screen of height not less than 03 meters over the boundary wall towards railway line side shall be constructed to prevent the fugitive dust emission in the nearby areas.

viii. Facilities for parking of trucks carrying raw material shall be created within the unit.

ix. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. The vehicles having 'PUC' certificate from authorized pollution testing centres shall be deployed for washery operations.

x. Hoppers of the coal crushing unit, screening unit and other washery units shall be fitted with high efficiency bag filters with dust extraction system. Mist spray water sprinkling system shall be installed and operated effectively at all times of operation to check fugitive emissions from crushing operations, transfer / junction points of closed belt conveyor systems and from transportation roads.

xi. The Raw coal / washed coal / rejects / coal sludge shall be stored above ground level in pucca platform within stockyards fitted with wind breakers / shields. Adequate measures shall be taken to ensure that the stored mineral does not catch fire.

xii. The temporary reject sites should appropriate planned and designed to avoid air and water pollution from such sites.

## III. Noise and Vibration monitoring and prevention

i. The noise level survey shall be carried out as per the prescribed guidelines to assess noise exposure of the workmen at vulnerable points in the factory premises, and report in this regard shall be submitted to the Ministry/RO on six-monthly basis.

ii. Adequate measures shall be taken for control of noise levels as per noise pollution Rules, 2016 in the work environment. Workers engaged in operations shall be provided with personal protective equipments (PPE) like ear plugs/muffs in conformity with the prescribed norms and guidelines in this regard. Adequate awareness programme for users to be conducted. Progress in usage of such accessories to be monitored.

## IV. Water quality monitoring

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. The effluent discharge shall be monitored in terms of the parameters notified under the Water Act, 1974 Coal Industry Standards vide GSR 742 (E) dated 25.9.2000 and as amended from time to time by the Central Pollution Control Board. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not

be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The monitoring data shall be uploaded on the company's website and displayed at the project site at a suitable location. The circular No. J-20012/1/2006-IA.11 (M) dated 27.05.2009 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall also be referred in this regard for compliance.

iii. Industrial waste water shall be properly collected and treated so as to conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Act, 1986 and the Rules made there under, and as amended from time to time.

iv. The project proponent shall not alter major water channels around the site. Appropriate embankment shall be provided along the side of the river/nallah flowing near or adjacent to the washery. The embankment constructed along the river/nallah boundary shall be of suitable dimensions and critical patches shall be strengthened by stone pitching on the river front side stabilised with plantation so as to withstand the peak water pressure preventing any chance of inundation.

v. Heavy metal content in raw coal and washed coal shall be analyzed once in a year and records maintained thereof.

vi. The rejects should be utilized in Brick manufacturing plant or disposed off through sale for its gainful utilization.

vii. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

viii. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

ix. An Integrated Surface Water Management Plan for the washery area up to its buffer zone considering the presence of any river/rivulet/pond/lake etc. with impact of coal washing activities on it, shall be prepared, submitted to MoEF&CC and implemented.

x. Waste Water shall be effectively treated and recycled completely either for washery operations or maintenance of green belt around the plant.

xi. Rainwater harvesting in the washery premises shall be implemented for conservation and augmentation of ground water resources in consultation with Central Ground Water Board.

xii. No ground water shall be used for coal washing unless otherwise permitted in writing by competent authority (CGWA). The fresh water requirement of washery should not exceed 250 KLD.

xiii. Project proponent shall be provided wheel washing arrangement inside the premises.

xiv. Regular monitoring of ground water level and quality shall be carried out in and around the project area. The monitoring of ground water levels shall be carried out four times a year i.e. pre-monsoon, monsoon, post-monsoon and winter. The ground water quality shall be monitored once a year, and the data thus collected shall be sent regularly to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur.

xv. Monitoring of water quality upstream and downstream of water bodies shall be carried out once in six months and record of monitoring data shall be maintained and submitted to the Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change/Regional Office.

xvi. A riverine/riparian ecosystem conservation and management plan should be prepared and implemented in consultation with the irrigation / Water Resource Department, Chhattisgarh.

## V. Green Belt

i. Minimum 7.767 Acre (45% of total land area) should be covered under green belt area. Three tier greenbelt comprising of a mix of native species, of minimum 20 m width shall be developed all along the premises to check fugitive dust emissions and to render aesthetic to neighbouring stakeholders. A 3-tier green belt comprising of a mix of native species or tree species with thick leaves shall be developed along vacant areas, storage yards, loading/transfer points and also along internal roads/main approach roads and all

along the boundary. Project proponent shall ensure development of minimum 40 m wide green belt towards the railway line. Project proponent shall ensure that plantation shall be complete within 6 months.

ii. The project proponent shall make necessary alternative arrangements, if grazing land is involved in core zone, in consultation with the State government to provide alternate areas for livestock grazing, if any. In this context, the project proponent shall implement the directions of Hon'ble Supreme Court with regard to acquiring grazing land.

## VI. Public hearing and Human health issues

i. The project proponent shall undertake occupational health survey for initial and periodical medical examination of the personnel engaged in the project. Besides regular periodic health check-up for occupational diseases and hearing impairment, if any, as amended time to time.

ii. Personnel (including outsoured employees) working in core zone shall wear protective respiratory devices and shall also be provided with adequate training and information on safety and health aspects.

iii. Implementation of the action plan on the issues raised during the public hearing shall be ensured. The project proponent shall undertake all the tasks/measures as per the action plan submitted with budgetary provisions during the public hearing. Land oustees shall be compensated as per the norms laid down in the R&R policy of the company/State Government/Central Government, as applicable.

## VII. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall undertake the following Corporate Environment Responsibility under environment management plan as per proposal submitted within 06 months -

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Particulars** | **CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)** |
| 2200 | 2% | 44 | Following activities at nearby Government 11 Schools as per proposal | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 34.00 |
| | | | Potable Drinking water Facility with 5 year AMC | 3.85 |
| | | | Running water facility for Toilets | 2.58 |
| | | | Plantation with fencing | 3.57 |
| | | | **Total** | **44.00** |

ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/ forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / or shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.

iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.

iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

v. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

## VIII. Miscellaneous

i. Project proponent shall ensure fulfillment of the provisions of Wildlife (Protection) Act, 1972 and prepare Wildlife Management plan approved by PCCF (wildlife) and chief wildlife warden prior to start of any construction work (if required). Project proponent shall obtain NOC from Director, Achanakmar Amarkantak Biosphere Reserve, Koni, Bilaspur prior to start of any construction work.

ii. Project proponent shall ensure no any hindrance to any villagers / farmers to access their field due to establishment / operation of coal washery.

iii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

iv. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

v. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

vi. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

vii. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

viii. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely: $PM_{10}$, $SO_2$, $NO_x$ (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

ix. Project proponent shall constitute a monitoring committee comprising of representatives of all stake holders i.e. Gram Panchayat, villagers, school teachers / management, workers, transporters and factory management etc. This committee shall monitor the conditions stipulated in the environmental clearance, environmental protection measures adopted, socio-economic development activities / community development programmes undertaken etc. The committee shall monitor the above matters at-least once in a month, during which, factual situation regarding above matters will be discussed. The procedings of the committee shall be recorded in writing along with suggestions (if any). Project management shall take immediate action on the basis of observations / suggestions of the committee. A copy of the procedings of the committee shall be submitted to Regional Officer, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bilaspur for information.

x. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

xi. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the

website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

xii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xiii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xiv. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xv. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xvi. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xvii. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xviii. The Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xix. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xx. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

**Member Secretary, SEAC** **Chairman, SEAC**

**मेसर्स ढोण्डरा ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (टेम्पररी परमिट) (प्रो.– शैलेन्द्र बहादुर सिंह) को खसरा क्रमांक 112, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, ग्राम–ढोण्डरा, तहसील–कोण्टा, जिला–सुकमा में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 85,503 टन प्रतिवर्ष (2 वर्षों में कुल क्षमता 1,34,454 टन से अधिक न हो) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें**

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 85,503 टन प्रतिवर्ष (2 वर्षों में कुल क्षमता 1,34,454 टन से अधिक न हो) से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. प्रस्तावित परियोजना से उत्खनित साधारण पत्थर को शासकीय कार्यों हेतु ही उपयोग किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
5. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
8. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर

प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

12. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्वार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

14. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

16. खनिज का परिवहन मेकनेकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Rupees)** |
| 30 | 2% | 0.60 | Following activities at Government Boys Hostal & Girls Hostal **Village-Konta & Bhejji** | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.60 |
| | | | Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC | 0.44 |
| | | | Plantation with fencing | 0.36 |
| | | | **Total** | **1.40** |

18. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

19. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौडा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प एवं ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त भूमि खसरा क्रमांक 112, रकबा 3.44 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,000 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

20. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022–23 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

21. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

22. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट मे समाहित करते हुये छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एव आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

24. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकडों (फ्लाई रॉक्स) को उडने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

25. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

26. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

28. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

29. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

30. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

31. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमे उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, मे किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जाए।

32. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

33. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

34. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

35. पर्यावरणीय स्वीकृति मे दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

36. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण

मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

38. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

39. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुन नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सकें। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जाए।

40. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

41. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.